398/RTI/MEA/14 Rs. 10 721/14 386

APPLICATION FOR OBTAINING INFORMATION UNDER SECTION 6 (1) (a) OF RTI ACT 2005

Ref.No.HHJS-184/RTI-7(11)/2014

Date :- 01 June 2014

डायरी संख्या Dy. No 2220/RTI Sec./2011 दि./Date 12/06/14

(Regd. Post)

To,
Central Public information officer
M/o External Affairs
Jawaharlal Nehru Bhawan
New Delhi - 110011

APPLICANT : Anant Shri.Swamy Amritanand DevTirth, @ S.D. Dwivedi
Central Priosn,Navi Mumbai- 410 210

Subject : Annual report & other publications, Proposal of Hindi, foreign Policy of India etc.

Period : 2013-14

Description of information required :

1- कृपया बताए कि भारत की घोषित विदेश नीति क्या है? विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएं।

2- कृपया विदेश मंत्रालय की वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, वर्ष 2013-14 की अवधि में प्रकाशित किए गए सभी प्रकाशनों की एक प्रति के साथ उपलब्ध कराएं।

3- क्या भारत सरकार ने हिन्दी भाषा को संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषा बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में कोई प्रयास किया है? यदि हां तो विवरण दें और यदि नही तो कारण बताएं।

4- हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की अधिकारिक भाषा बनाने में आने वाली वित्तिय एवं प्रक्रियागत समस्याओं का विवरण दें।

5- क्या विदेश मंत्रालय द्वारा किसी पत्रिका / Periodical का प्रकाशन किया जाता है? यदि हां तो उसकी एक प्रति नमूने के रूप में उपलब्ध कराएं तथा उसे नियमित प्राप्त करने की प्रक्रिया से अवगत कराएं।

6- कृपया बताएं कि क्या संयुक्त राष्ट्र व इसके किसी अंग द्वारा अपने कर्मचारियों की भर्ती के लिए भारत में किसी परीक्षा या चयन प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है? यदि हां तो इस परीक्षा या प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं साथ ही यह भी बताए कि इस परीक्षा / चयन प्रक्रिया हेतु भारत सरकार / संयुक्त राष्ट्र द्वारा या किसी एजेंसी द्वारा प्रतिभागियों द्वारा कोई मार्गदर्शन किया जाता है? कृपया पूर्ण विवरण दें।

नोट:- कृपया मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार किसी भी प्रश्न हेतु website का संदर्भ न दें, क्योंकि यहां न्यायाधीन बंदियों के लिए Internet सुविधा उपलब्ध नहीं है।

आभार,

Information required by : Registered Post / Speed-Post

Enclosed - IPO No. 10F 756233 of Rs.10/- as RTI Fee. Pl. fill proper name.

(ii)- xerox of SC's AA order for your reference.

Place : Navi Mumbai – 410210

Date : 1 June 2014

[signature]

Applicant

विदेश मंत्रालय
संयुक्त राष्ट्र राजनैतिक प्रभाग
***

सं.: U.II/551/13/2014 | दिनॉकः 10 जुलाई 2014

सेवा में,

अनंत श्री स्वामी अमृतानन्द देवतीर्थ,
केन्द्रीय कारागृह,
नवी मुम्बई,
पिन - 410210

महोदय,

कृपया आपके द्वारा प्रेषित आर टी आई प्रार्थना पत्र सं HHJS-184/RTI-7(11)/2014 दिनॉकित 01 जून 2014 का संर्दभ ग्रहण करें जो कि इस प्रभाग मे 16 जून 2014 को प्राप्त हुआ है।
उपरोक्त पत्र में इस प्रभाग से सम्बन्धित कमांक 3 4 एवं 6 पर मांगी गई जानकारी निम्नवत है ।

1 संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी नई भाषा को शामिल करने के लिए उसका प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया जाता है । उपरोक्त प्रस्ताव के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सामान्य बहुमत से अंगीकार किए जाने के पश्चात संयुक्त राष्ट्र सचिवालय इसके वित्तीय प्रभावों का मूल्यांकन प्रोग्राम बजट इम्पलीकेशन (पी बी आई) के माध्यम से करता है ।इसके पश्चात इसका विश्लेषण ए सी ए बी क्यू (एडवाइजरी कमेटी आन एडमिनिस्ट्रेटिव एण्ड बज़टरी क्वेश्चन्स) करती है तथा इसका अनुमोदन संयुक्त राष्ट्र की पॉचवी समिति (फिफ्थ कमेटी) द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात महासभा मुख्य प्रस्ताव एवं पी बी आई प्रस्तावों को स्वीकार करती है ।ऐसे प्रस्ताव जिनका वित्तीय प्रभाव होता है को पास करने के लिए सामान्यत: सर्वमत की आवश्यकता होती है । यद्यपि सदस्य देशों में मतैक्य न होने पर यह दो तिहाई बहुमत से पास किया जाता है ।संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान सदस्य संख्या के अनुसार दो तिहाई बहुमत के लिए 129 सदस्य देशों के सर्मथन की आवश्यकता होगी।

2 संयुक्त राष्ट्र के बजट में होने वाली वृद्धि सदस्य देश पूर्व निर्धारित आनुपातिक आधार पर वहन करते हैं।यहॉ ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि हिन्दी के संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनने में भारत पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभावों का महत्त्व गौण है ।मुख्य प्रश्न यह है कि हमें इस प्रस्ताव के लिए कितने सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त होगा ।

3 सामान्यत: संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी नए प्रस्ताव के लाए जाने से पूर्व सदस्य देशों से औपचारिक अथवा अनौपचारिक सहमति ली जाती है ।सदस्य देश ऐसे प्रस्तावों का सर्मथन करने में अनिच्छा प्रकट करते हैं जिनमें उन पर अतिरिक्त वित्तीय प्रभार पड़ता है। अत: हिन्दी की स्वीकार्यता विश्व स्तर पर सार्वभौमिक भाषा के रूप में बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी है व इस दिशा में सतत प्रयास किए हैं । विदेश मंत्रालय के राजभाषा/हिन्दी प्रभाग ने विश्व हिन्दी सम्मेलनों का आयोजन किया है। अब तक नौ विश्व हिन्दी सम्मेलन

आयोजित किए जा चुकें हैं ।भारत के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र अपने साप्ताहिक कार्यकमों का प्रसारण हिन्दी में भी करता है जो कि संयुक्त राष्ट्र रेडियो वेबसाइट पर सुने जा सकते हैं ।इसके अतिरिक्त भारत के शीर्ष नेताओं ने विश्व स्तर पर हिन्दी के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने एवं विश्वदृष्टि में हिन्दी का महत्व लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण हिन्दी भाषा मे दिये हैं ।

4 संयुक्त राष्ट्र संघ भारत सरकार से इतर एक स्वतंत्र निकाय है अत: संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा इससे सम्बद्द संगठनों में भर्ती की जानकारी इन संगठनों से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

5 यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नही है तो इससे सम्बन्धित अपील इस उत्तर की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर श्री शेरिंग व शेरपा, उप सचिव व प्रथम अपीलीय अधिकारी संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग, कक्ष संख्या **0102**, जवाहर लाल नेहरू भवन, विदेश मंत्रालय. नई दिल्ली-**110011**, फोन – **011 49018413** व फैक्स **011 49018412** को भेजी जा सकती है ।

भवदीय

(डा. शैलेन्द्र कुमार सक्सेना)
अवर सचिव (संयुक्त राष्ट्र राजनैतिक)
कक्ष संख्या **0160**, जवाहर लाल नेहरू भवन
विदेश मंत्रालय **23** डी जनपथ नई दिल्ली **110011.**
फोन.: **011 49018408**

प्रतिलिपि:-

1 अवर सचिव (आर टी आई), विदेश मंत्रालय नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आर टी आई प्रार्थना पत्र के अन्य अनुच्छेदों पर आवश्यक कार्यवाही हेतू जो इस प्रभाग से सम्बन्धित नही हैं। (RTI/551/721/2014).

2. अवर सचिव (एक्स पी डी) व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी विदेश मंत्रालय को सूचनार्थ ।.

3 अवर सचिव (पी पी) व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी विदेश मंत्रालय को सूचनार्थ ।

FIRST APPEAL UNDER SECTION 19 (1) OF RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

FA.No. 76/184/7(11)/2014 Date: 2 September 2014

To श्री शेरिंग व शेरपा
उप सचिव व प्रथम अपीलीय अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग,
कक्ष सं० - 0102, जवाहर लाल नेहरू भवन, विदेश मंत्रालय,
नई दिल्ली - 110011

डायरी सं०
Dy. No. 381 /DS (UNP)/20.14
दिनांक/Date 10/9/14

Appellant : Anant Shri.Swamy Amritanand DevTirth,
Through Superintendent
Central Prison, Navi Mumbai – 410210

P.I.O. : डा० शैलेन्द्र कुमार सक्सेना, अवर सचिव (संयुक्त-राष्ट्र राजनीतिक), कक्ष सं० 0160 ज.ने. भवन, वि.मं.

Reference of order appealed against : सं: U.11/551/13/2014, दि० 10 जुलाई 2014

Date of receipt of order : 05 अगस्त 2014

Last date for filing Appeal : 05 सितंबर 2014

Grounds for appeal:

With reference to my R.T.I. application dated 1.6.14, the learned P.I.O. has : -

~~(a) not furnished the information within the stipulated period of 30 days. Hence, deemed refusal.~~

✓ (b) furnished partial and incomplete information.

~~(c) denied information on false, fabricated, erroneous grounds illegally seeking exemptions under Section 8 of R.T.I. Act 2005~~

Aggrieved I file this first appeal on the following grounds amongst others:-

PTO

मा० महोदय,

मेरे संदर्भित RTI आवेदन पत्र दि. 01.06.14 का सुसंगत एवं यथोचित उत्तर Ld.C.P.I.O. द्वारा दिया गया है, तथापि मैं क्रमांक-2 पर दिए गए उत्तर के संदर्भ में यह भी जानना चाहूंगा कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए वर्तमान में कितने सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है? यह जानने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास अधिकृत रूप में किया गया है?

क्र०-3 पर दिए गए उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहूंगा कि अब तक नौ विश्व हिन्दी सम्मेलन कब व कहां आयोजित किए गए? एवं भारत के किन शीर्ष नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण हिन्दी में दिए हैं?

क्र०-4 के संदर्भ में Ld.CPIO द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ व इससे संबद्ध संगठनों में भर्ती की जानकारी हेतु इनके भारत स्थित कार्यालयों के पूर्ण पते उपलब्ध नहीं कराए है, और न ही यह बताया है कि इनसे किस भाषा में पत्राचार करें?

"प्रार्थना"

विनम्र अनुरोध है कि Ld.CPIO को उपरोक्त वर्णित सूचना यथाशीघ्र प्रदान करने का निर्देश दें विशेष तौर पर क्रमांक-4 का अपेक्षित उत्तर।

सादर,

Please direct the Public Information officer to furnish the information sought vide my application dated 1.6.14.

I shall argue my appeal in person. Please summon me through Superintendent, Taloja Central Prison, Navi Mumbai – 410210, for hearing of my first appeal

Subject of information required: उपरोक्त विवरण के अनुसार।

Department concerned : संयुक्त राष्ट्र राजनैतिक प्रभाग, वि० मं.

List of documents enclosed:

(1). Ld CPIO द्वारा भेजे गए उत्तर की छाया प्रति 2 पृष्ठ।

Place: Navi Mumbai – 410210

Date: 2.9.2014

Appellant

छिरिंग व शेरपा
उप सचिव (संयुक्त राष्ट्र राजनैतिक) व अपीलीय प्राधिकारी
फोन : 011 49018413
फैक्स : 011 49018412
ई मेल : dirunp@mea.gov.in

आर टी आई/समय वद्ध

No. U.II/551/13/2014 07 अक्टूबर 2014

विषय : नवी मुम्बई से अनंत श्री स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत दाखिल की गई प्रथम अपील ।

अनंत श्री स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत दाखिल की गई दिनॉकित 02 सितम्वर 2014 की प्रथम अपील अधोहस्ताक्षरी को 10 सितम्वर 2014 को प्राप्त हूई। अपील प्राप्त होने पर अधोहस्ताक्षरी ने अवलोकनार्थ उपरोक्त आर टी आई से सम्वन्धित समस्त पत्रावली मॅंगवाई।

2 प्रार्थी ने मूल आर टी आई प्रार्थना दिनॉक 01 जून 2014 को प्रेषित की थी जो कि इस प्रभाग को दिनॉक 16 जून को प्राप्त हूई थी। अपने पत्रांक संख्या U.II/551/13/2014 दिनॉकित 10 जुलाई 2014 द्वारा डा शैलेन्द्र कुमार सक्सेना अवर सचिव (संयुक्त राष्ट्र राजनैतिक) व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी संयुक्त राष्ट्र राजनैतिक प्रभाग विदेश मंत्रालय ने उपरोक्त आर टी आई पर सूचना मुहैया कराई। डा शैलेन्द्र कुमार सक्सेना अवर सचिव (संयुक्त राष्ट्र राजनैतिक) व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने अधिनियम द्वारा स्वीकृत 30 दिनों की स्वीकृत समय सीमा के भीतर सूचना उपलव्ध कराई ।

3 आपने अपने मूल आर टी आई प्रार्थना पत्र में 6 सूचनाएं मांगी थीं जिनमें से कमांक 3 4 व 6 पर मांगी गई सूचनाएं इस प्रभाग से सम्वन्धित थीं व जिनका उत्तर आपको सम्वन्धित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया। आपने उन सूचनाओं के सम्वन्ध में यह प्रथम अपील दाखिल की है। आपने उपरोक्त सूचनाओं के प्रत्युत्तर में कहा है कि आपके द्वारा संदर्भित आर टी आई आवेदन पत्र दि 01 06 14 का सुसंगत एवं यथोचित उत्तर केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया है।

4 आपकेद्वारा दाखिल की गई अपील के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आपने अपनी अपील में कुछ अतिरिक्त सूचनाएं मॉगी हैं। इस सम्वन्ध में आपको यह सूचित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के उपवन्धों के अनुसार यह संभव नही है। अतः यदि आप कुछ अतिरिक्त सूचनाएं पाने के इच्छुक हैं तो आप एक नई आर टी आई दाखिल कर सकते हैं।

5 आपको यह भी सूचित किया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ भारत सरकार के क्षेत्राधिकार के वाहर एक स्वतंत्र निकाय है अत इस प्रभाग को संयुक्त राष्ट्र संघ के भर्ती नियमों के वारे में कोई सूचना उपलव्ध नही है । यहॉं पर यह विशेष रूप से उल्लिखित है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (j) के अनुसार वह सूचना ही दी जा सकती है जो कि लोक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में उपलव्ध हो।

6 तदनुसार उपरोक्त अपील निस्तारित की जाती है।

भवदीय

छिरिंग व. शेरपा

(छिरिंग व शेरपा)
उप सचिव (संयुक्त राष्ट्र राजनैतिक)
व संयुक्त राष्ट्र राजनैतिक प्रभाग के लिए अपीलीय प्राधिकारी

अनंत श्री स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ
द्वारा अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह
नवी मुम्बई **410210** भारत

प्रतिलिपि :
अवर सचिव (आर टी आई), विदेश मंत्रालय नई दिल्ली

o/c